तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियज्स जज **विविध दीवानी प्रकरण सं0–27/15**	
01.06.19	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। इस आदेश से प्रार्थी/वादी जोगेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी दिनांकित 21.05.19 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी जोगेन्द्रसिंह का अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह कथन रहा है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि अप्रार्थी सं0 1 ता 6 से जरिये इकरारनामा खरीद की है तथा अप्रार्थीगण द्वारा इकरारनामा दिनांक 07.08.09 की पालना नहीं करवाने पर प्रार्थी ने इकरारनामा की विविर्दिष्ट अनुपालना का वाद अप्रार्थीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय में पेश किया जिसके साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित भूमि के संबंध में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। इकरारनामा की अनुपालना में इकरारनामा के रोज से ही विवादित भूमि आज तक प्रार्थी के कब्जा में चली आ रही है । राजस्व एवं सिंचाई कर प्रार्थी ही अदा करता आ रहा है। विवादित भूमि सीमा सुरक्षा बल रायसिंहनगर की बी ओ पी मजनू 27ए की सीमा में आती है इसलिये सीमा क्षेत्र की भूमि को काश्त करने के लिये सीमा सुरक्षा बल से अनुमति लेनी पड़ती है जिसके लिये काश्तकार के नाम से सीमा सुरक्षा बल द्वारा एक दैनिक डायरी में काश्त करने की अनुमति के लिये प्रविष्टि कर काश्तकार को भूमि काश्त करने की प्रतिदिन की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार विवादित भूमि के संबंध में भी सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रार्थी को समय समय पर विवादित भूमि काश्त करने के लिये डायरी में प्रविष्टि कर भूमि काश्त करने की अनुमति दी जाती रही है जिनकी चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। विवादित भूमि की पानी की पर्ची प्रार्थी के पास है तथा राजस्व कर एवं सिंचाई कर प्रार्थी जमा करवाता आ रहा है तथा सीमा सुरक्षा बल की डायरी से यह साबित है कि विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.05.15 के द्वारा विवादित भूमि के कब्जा के संबंध में उस रोज के दिन की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश	

दिये गये थे। अप्रार्थी सं0 9 का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है लेकिन अप्रार्थी सं0 9 सुखदेवसिंह ने तहसीलदार राजस्व अनूपगढ के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर चाराजोई कर तहसीलदार राजस्व अनूपगढ से सीमा सुरक्षा बल के नाम अप्रार्थी सं0 9 ने अपने पक्ष में पत्र दिनांक 29.03.19 को जारी करवाया है जिस पत्र में तहसीलदार राजस्व अनूपगढ ने विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन वाद एवं स्थगन आदेश का कोई हवाला नहीं दिया है जबकि तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुकदमा है इसलिये अप्रार्थी सं0 8 तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ आदेश दिनांक 11.05.15 से आबद्व था, इसके बावजूद तहसीलदार राजस्व अनूपगढ ने पत्र दिनांक 29. 03.19 में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने एवं यथास्थिति के आदेश का जिक्र नहीं किया एवं तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ के उक्त पत्र के आधार पर सीमा सुरक्षा बल बी पी ओ मजनू 27ए के वर्तमान इंचार्ज पोस्ट कमाण्डर ने प्रार्थी से कहा कि अपने नाम से काश्त की अनुमति से पहले तहसीलदार राजस्व अनूपगढ से आदेश लेकर आओ क्योंकि तहसीलदार ने अपने पत्र में सुखदेसिंह को विवादित भूमि का खातेदारी काश्तकार बताया है तथा इस पत्र में किसी स्थगन आदेश का जिक्र नहीं किया है। विवादित भूमि के संबंध में आदेश दिनांक 11.05.15 के अनुसार यथास्थिति के आदेश है एवं विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है इसलिये आदेश दिनांक 11.05.15 की पालना में अप्रार्थी सं0 8 तहसीलदार राजस्व अनूपगढ को निर्देशित किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी की काश्त व्यवस्था सुचारू करावे तथा ऐसा कोई अविधिक कृत्य ना करें जिससे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ को प्रार्थी की विवादित भूमि पर काश्त व्यवस्था सुचारू रखने के लिये निर्देशित किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 7 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश करना एवं अस्थाई निषेधाज्ञा में दिया गया आदेश भी रिकार्ड के तथ्य होना वर्णित करते हुए कथन किया गया है कि सीमा सुरक्षा

बल द्वारा पत्र भेजकर उक्त कृषि भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड बाबत् जानकारी चाही थी जिस पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह पत्र प्रेषित किया गया कि उक्त कृषि भूमि वर्तमान में सुखदेवसिंह पुत्र वीरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा यह सूचना चाही गई कि वास्तविक जमीन किसके नाम रजिस्टर्ड है जिसका उत्तर प्रदत्त किया गया कि जमीन सुखदेवसिंह पुत्र वीरसिंह के नाम रिकार्ड में दर्ज है। तत्पश्चात पुनः उक्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट चाही गई तो कार्यालय द्वारा क्रमांक 1166 दिनांक 17.05.19 के प्रकाश में पटवारी रिपोर्ट, जमाबंदी एवं वाद प्रकरण सं0 28/15 की प्रतियां भी प्रेषित की गई एवं माननीय न्यायालय में जैरकार प्रकरण का हवाला दिया गया एवं स्थगन आदेश की भी जानकारी सीमा सुरक्षा बल को प्रदान की गई। तहसीलदार द्वारा कब्जा के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया एवं राजस्व विभाग द्वारा किसी भी पक्षकार को नहीं रोका गया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी जोगेन्द्रपाल का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 9 सुखदेवसिंह द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में दिनांक 11.05.15 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश में यह फरमया गया कि जहां तक विवादग्रस्त अराजी के कब्जे का प्रश्न है, कब्जे के संबंध में इस प्रक्रम पर वस्तुस्थिति कतई स्पष्ट नहीं है, इस रिकार्ड से संबंधित तथ्य को प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में छुपाया है इसलिये प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जो कथित दैनिक डायरी की प्रतियां पेश की है, वह या तो फर्जी है अथवा किसी बी एस एफ के कर्मचारी से मिलकर तैयार करवाई है। चूंकि वाद में प्रार्थी/वादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है, यदि प्रार्थी/वादी के पास यह दैनिक डायरी होती तो वह अवश्य ही वाद में साक्ष्य में पेश कर इन्हें प्रदर्शित करवाता और संबंधित बी एस एफ कर्मचारी को तलब करवाकर दैनिक डायरी की पुष्टि करवाता। प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि का बैयनामा अप्रार्थी सं0 9 के पक्ष में उक्त वाद पेश करने से पूर्व हो चुका है लेकिन प्रार्थी ने

अप्रार्थी सं0 9 के विरूद्व उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में कोई भी अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि वाद में पक्षकार बनाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं0 9 को पक्षकार बनाया गया है इसलिये अप्रार्थी सं0 9 माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.05.15 से आबद्व नहीं है। प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि अप्रार्थी सं0 9 के नाम की कृषि भूमि है। इस भूमि की पानी की पर्ची अप्रार्थी सं0 9 के नाम की है एवं सिंचाई कर भी अप्रार्थी सं0 9 द्वारा अदा किया जा रहा है तथा मौका पर कब्जा काश्त भी अप्रार्थी सं0 9 का है। बी एस एफ के अधिकारियों द्वारा अप्रार्थी सं0 9 को इस भूमि का मालिक होते हुए भी कुछ समय के लिये सुरक्षा की दृष्टि से इस भूमि में प्रवेश करने से मना किया है जिसकी आड़ में इस भूमि पर प्रार्थी कब्जा करने की फिराक में था इसलिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र असद्भावी आशय एवं उद्वेश्य से पेश किया है। कथित इकरारनामा दिनांक 07.08.09 फर्जी एवं कूटरचित है। प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि के आवंटी बिहारीलाल ने इस भूमि को अप्रार्थी सं0 9 को जरिये इकरारनामा दिनांक 25.10.79 को विक्रय करने का करार कर कब्जा भूमि अप्रार्थी सं0 9 को सौंप दिया था, तभी से लेकर इस भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी सं0 9 का चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 9 द्वारा इकरारनामा दिनांक 25.10.79 के आधार पर माननीय न्यायालय में विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पेश किया जिसमें राजीनामा के आधार पर दिनांक 27.04.15 को डिक्री फरमाया जा चुका है और उसके आधार पर दिनांक 30.04.15 को बैयनामा भी अप्रार्थी सं0 9 के पक्ष में हो चुका है इसलिये कथित इकरारनामा दिनांक 07.08.09 पश्चातवर्ती होने के कारण प्रार्थी को प्रथम दृष्टया कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कोई पत्र अप्रार्थी सं0 9 ने दिनांक 29.03.19 को अपने पक्ष में तहसीलदार राजस्व अनूपगढ से बी एस एफ के लिये जारी नहीं करवाया गया है। प्रार्थी ने झूठे तथ्य दर्ज करवाये हैं । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे एवं अप्रार्थी सं0 9 को प्रार्थी से उचित हर्जा खर्चा दिलाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को

दोहराते हुए कथन किये हैं कि प्रार्थी द्वारा एक वाद विवादित भूमि के इकरारनामा के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया गया था जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.15 को विवादित भूमि के संबंध में रहन, विक्रय व अंतरण नहीं करने के संबंध में अंतरिम आदेश दिया गया था व कब्जा के संबंध में यथास्थिति के आदेश दिये गये थे। इकरारनामा दिनांक 07.08.09 के रोज से ही प्रार्थी जोगेन्द्रपालसिंह का विवादित भूमि पर कब्जा है। विवादित भूमि सीमा सुरक्षा बल रायसिंहनगर की बी ओ पी मजनू 27ए की सीमा में आती है इसलिये सीमा क्षेत्र की भूमि में काश्त करने के लिये सीमा सुरक्षा बल से अनुमति लेनी पड़ती है, उस अनुमति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर दिनांक 11.05.15 व उससे पूर्व ही प्रार्थी का कब्जा रहा है। अप्रार्थी सं0 9 का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, अप्रार्थी सं0 9 सुखदेवसिंह ने तहसीलदार राजस्व अनूपगढ से मिलीभगत कर तहसीलदार राजस्व अनूपगढ से सीमा सुरक्षा बल के नाम से अप्रार्थी सं0 9 ने अपने पक्ष में एक पत्र दिनांक 29.03.19 को जारी करवाया है लेकिन इस पत्र में तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ द्वारा विवादित भूमि के संबंध में वाद पत्र एवं स्थगन का कोई हवाला नहीं दिया गया है। विवादित भूमि पर आज भी प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थी सं0 9 का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी के कब्जा के आधार पर प्रार्थी को विवादित भूमि पर आने जाने एवं उस पर सिंचाई करने व काश्त करने का अधिकार प्राप्त है। अतः तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ को प्रार्थी को विवादित भूमि पर काश्त व्यवस्था को सुचारू रखने को निर्देशित किया जावे। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में 2007 (2) सी सी सी 001 (एससी) मीरा चौहान बनाम हर्ष बिश्नोई, 2007 (2) सी सी सी 007 (राज.) (डीबी) श्रीमती रेनुका बनाम राजेन्द्र हांडा न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

जबकि वकील अप्रार्थी सं0 9 ने अपनी बहस में कहा है कि प्रार्थी द्वारा सही तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। दिनांक 11.05.15 को इस न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था, उसमें विवादित भूमि पर कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं

मानते हुए विवादित भूमि बाबत् यथास्थिति के आदेश दिये गये थे। अप्रार्थी सं0 9 विवादित भूमि का जरिये इकरारनामा मालिक व काबिज है। प्रार्थी द्वारा बी एस एफ के अधिकारियों से मिलकर गलत पासबुक जारी करवाई गई है जिसमें प्रार्थी का कब्जा दर्शाया गया है जबकि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा न होकर अप्रार्थी सं0 9 का ही कब्जा है। प्रार्थी ने जिस इकरारनामा के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह इकरारनामा फर्जी व कूटरचित है। विवादित भूमि की पानी की पर्चियां सुखदेवसिंह के नाम से है, इससे भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर सुखदेवसिंह का कब्जा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में 2014 (2) सीसीसी 398 (राज.), भगवतीसिंह बनाम राज लक्ष्मणसिंह, 2013 (2) सीसीसी 457 (एससी) मोहमद मेहताब खांन बनाम खुशनुमा इब्राहिम, 2013 (2) सीसीसी 472 (राज.) भगवतीसिंह बनाम बसंती मनिहार, 2013 (2) सीसीसी 044 (राज.) निरंजनसिंह बनाम राजेश कुमार न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अप्रार्थी सं0 7 व 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 151 सी पी सी के प्रार्थना पत्र में इस स्टेज पर यह निर्धारण नहीं किया जाना है कि इकरारनामा के आधार पर प्रार्थी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का जो वाद पत्र पेश किया गया है, वह इकरारनामा फर्जी व कूटरचित है। इस स्टेज पर धारा 151 सी पी सी के प्रार्थना पत्र में मात्र यह देखा जाना है कि दिनांक 11.05.2015 को जब इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के कब्जा के संबंध में यथास्थिति के आदेश दिये गये थे, उस दिनांक 11.05.2015 को विवादित भूमि पर किस व्यक्ति का कब्जा था। इस संबंध में यदि अप्रार्थी द्वारा अपने नाम से जारी हुई पानी की पर्चियां इस न्यायालय के समक्ष पेश करने का प्रश्न है, तो यहां

पर यह स्पष्ट कर देना उचित है कि मात्र पानी की पर्चियां अपने नाम से जारी होने के आधार पर अप्रार्थी सं0 9 का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता है क्योंकि सिंचाई विभाग के नियमों के अनुसार पानी की पर्ची उसी व्यक्ति के नाम से जारी की जाती है जो व्यक्ति संबंधित भूमि का स्वामी है। इस संबंध में यदि सहायक उपनिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल बी ओ पी मजनू जी टीम फिल्ड, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 10.05.2019 का अवलोकन करें तो इस पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें विवादित भूमि की काश्त की अनुमति सन् 2015 से पूर्व जोगेन्द्रपाल को सीमा सुरक्षा बल के द्वारा दी जाती रही है तथा 11.05.15 के पश्चात से आज रोज तक लगातार सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जोगेन्द्रपाल को उसकी व्यक्तिगत डायरी में अनुमति की प्रविष्ट कर उक्त भूमि को काश्त करने की अनुमति दी जाती है, वर्णित किया गया है। इस प्रकार सहायक उपनिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल बी ओ पी मजनू जी टीम फिल्ड, श्रीगंगानगर की उक्त कब्जा काश्त की रिपोर्ट से यह साबित है कि जिस समय इस न्यायालय द्वारा इस भूमि पर यथास्थिति के आदेश दिये गये थे, उस आदेश के दिन विवादित भूमि पर काश्त की अनुमति हेतु जोगेन्द्रपाल को दिनांक 11.05.2015 से पूर्व व उसके पश्चात जोगेन्द्रपाल को अनुमति दी जाती थी। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि सीमा सुरक्षा बल रायसिंहनगर की बी ओ पी मजनू 27ए की सीमा में आती है एवं सीमा क्षेत्र की भूमि में काश्त करने के लिये सीमा सुरक्षा बल से अनुमति लेनी पड़ती है, इस बाबत् भी प्रार्थी जोगेन्द्रपाल द्वारा विवादित भूमि में आने जाने, काश्त करने व सिंचाई के लिये बी एस एफ से जो अनुमति दी गई थी, उस पासबुक की छाया प्रतियां भी इस प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में पेश की गई है, इससे भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर दिनांक 11.05.15 को जिस दिन विवादित भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश दिये गये थे, व उसके पूर्व व उसके पश्चात प्रार्थी का ही कब्जा है जबकि अप्रार्थी सं0 9 सुखदेवसिंह द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे माना जा सके कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं0 9 का कब्जा हो। अप्रार्थी सं0 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

ससम्मान न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने से उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप प्रार्थी/वादी जोगेन्द्रपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ को प्रार्थी जोगेन्द्रपाल की विवादित कृषि भूमि पर काश्त व्यवस्था सुचारू रखने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस संबंध में तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते बहस टी.आई. दिनांक ..... को पेश हो।